टर्ड न0 पी0/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 20 अगस्त 1988/29 श्रावण, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Kalpa, the 6th August, 1988

No. FDS (KNR) (P) (6)-135/83.—With a view to regulate the distribution of L.P.G. refills in Kinnaur district at reasonable rates, I, Prem Kumar District Magistrate, Kinnaur district at Kalpa in exercise of the powers conferred upon me under clause 3(*i*) (e) of the Himachal Pradesh Hoarding and profiteering Prevention Order, 1977, do hereby fix as under the maximum retail sale rates of one refilled L.P.G. cylinder of the stations noted against each, which shall be charged by the Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation at Rekong Peo from the consumers:—

S. No.	Name of the Station	Landed cost of the L.P.G, refill at godown of the L.P.G. distribution	Cooliage for door delivery	Rate or making door delivery of one filled L.P.G. Cylinder	Ex-godown delivery rate after allowing Rs. 2/- as rebate per cylinder.
1.	Peo (Revenue Mohal)	58.49	3.00	61.49	56.49
2.	Telangi	58.49	4.00	62.49	56.49
3.	Brelangi	58.49	6.00	64.49	56.49
4.	Kothi	58.49	5.00	63.49	56.49
5.	Duni	58.49	8.00	66.49	56.49
6.	Kalpa	58.49	8.00	66.49	56.49
7.	Yarangi	58.49	6.00	64.49	56.49
8.	Khawangi	58.49	4.00	62.49	56.49

1. The dealer of L.P.G. *i.e.* Himachal Pradesh Civil Supplies Corporation at Rekong Peo shall effect door delivery of L.P.G. refills to the consumers of the stations noted above.

2. In case the consumers desire to take the delivery of L.P.G. refills ex-godown they shall be supplied the refilled cylinders under the cash and carry system provided their turn against booking is matured. The gas agency *i. e.* Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation at Rekong Peo will allow a rebate of Rs. 2/- (Rupees Two only) per cylinder at their ex-godown rate shown in Column 3 above to such consumers who register themselves with the g agency under the cash and carry system.

3. The dealer will display stock position of L.P.G. refills at a conspicous place of business place.

4. The dealer will intimate Sl. No. of booking of L.P.G. refills to the consumers on telephone or on the counter when he makes a request for booking.

5. The dealer will issue cash memos for each and every transaction on cash memos, the dealer will indicate consumers number, address and amount charged.

6. The dealer will stamp cards of the consumers.

7. The dealer shall not pressurise the consumers for the purchase of accesories at the time of giving new connections to the consumers. The release of new connections to new consumers shall be made strictly on first come first serve basis and only against valid ration cards. The register in respect of release of new connections be maintained in the following proforma:—

Sl. No.	Name & Address of the consumer	Registration No. and date	Date of depositing security & consumers No. allotted	Date of release of new connections
1	2	3	4	5

The L.P.G. dealer shall display every day the serial No. of booking from to for refills and filles cylinders, available in stock with them.

8. The register regarding daily delivery of L.G.P. shall be maintained in the following manner:—

Sl. No.	Consumer No.	Cash memo No. & date	Date of delivery	Name of the coolie	Remarks
1	2	3	4	5	6

The above records shall be maintained in addition to the records already prescribed by the I.O.C. or provided under any other law in force.

9. The L.P.G. dealer shall submit weekly/monthly returns in the following proforma to the District Food & Supplies Controller, Kinnaur.

PROFORMA-I

Opening balance of L.P.G. Refills	L.P.G. cylinders received during the month/week	Total	Issue	Closing balance
1	2	3	4	5

PROFORMA-II

No. of connections at the begining of month	No. of new connection issued during the month	No. of TV received	Total	No. of TV issued	No. of connections at the close of month
1	2	3	4	5	6

This notification shall remain in force for a month from the date of publication in the official gazette.

PREM KUMAR,
District Magistrate,
Kinnaur district at Kalpa.

उद्यान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 फरवरी, 1988

संख्या उद्यान-क (3) 4/81-II.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग हिमाचल प्रदेश की सहमति से हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग में सहायक विषलेशण अधिकारी, श्रेणी-II (राजपत्रित) वेतनमान रुपये 825—1580, रुपये 1200—1700 (सलैक्शन ग्रेड) पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम जो इस विभाग की अधिसूचना सं0 उद्यान-क (3) 4/81-II, दिनांक 3-9-87 द्वारा अधिसूचित किए गए थे को निष्प्रभावित करते हुए इस अधिसूचना में संलग्न (अनुबन्ध-VI) के अनुसार सहायक विषलेशण अधिकारी वर्ग द्वितीय (राजपत्रित) के भर्ती एवं पदोन्नति नियम सहर्ष बनाते हैं ।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस के आगे इस विभाग द्वारा इस पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचना सं0 25-5/69-हौर्ट (सैक्ट) दिनांक 19-12-71 तथा समय-समय पर इन नियमों में किए गए संशोधन अधिसूचित को निरसन करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं बशर्ते कि यह निरसन पहले बनाए गए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अन्तर्गत हुई कार्यवाही पर असर नहीं डालेगा या उन नियमों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही उन नियमों के अनुसार मान्य होगी ।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) यह नियम हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग के वर्ग द्वितीय (राजपत्रित) सेवायें नियम, 1988 कहलायेंग ।

(2) यह नियम हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

अनुबन्ध-VI

उद्यान विभाग में श्रेणी-II (राजपत्रित) सेवायें नियम

1. पद का नाम	सहायक विश्लेषण अधिकारी ।
2. पद की संख्या	एक ।
3. वर्गीकरण	श्रेणी-II (राजपत्रित) ।
4. वेतनमान	रुपये 825—1580 (कालमान) 1200—1700 (प्रवरण वेतनमान 20 प्रतिशत)
5. क्या पद प्रवरण अथवा अप्रवरण है ?	प्रवरण ।
6. सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	35 वर्ष तथा इससे कम :

उपबन्धित है कि सीधी भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष और उस से कम उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगी जो पहल ही तदर्थ या अनुबन्ध के आधार पर सरकारी सेवा में कार्यरत हों :

आगे उपबन्धित है कि तदर्थ या अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त उम्मीदवार यदि नियुक्ति तिथि की अधिकतम आयु सीमा पार कर गया हो, तो इसे निर्धारित आयु सीमा में उस आधार पर छूट नहीं दी जायेगी :

आगे उपबन्धित है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में देय छूट उतनी है, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अन्तर्गत अनुमत है :

आगे उपबन्धित है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निगमों तथा स्वायत निकायों के लिए सभी कर्मचारियों को जो इन सार्वजनिक क्षेत्र के निगम तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय इनमें अन्तर्लीत होने से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, को भी सरकारी कर्मचारियों की भांति सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट होगी । इस प्रकार की छूट सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उक्त निगमों, स्वायत निकायों द्वारा बाद में भर्ती किये गये थे/हों, और इन सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के बाद अन्तिम रूप से इन निगमों/स्वायत निकायों में अन्तर्लीत हो गये हों ।

टिप्पणी 1.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा, आयोग द्वारा आवेदन, पत्र प्राप्त करने के लिए निश्चित अन्तिम तिथि को गिनी जायेगी ।

2. सीधी भर्ती की स्थितियों में अन्यथा विशिष्ट योग्यता प्राप्त उम्मीदवार के लिये आयु सीमा तथा अनुभव से सम्बन्धित योग्यताओं में आयोग के विवेकानुसार छूट देय होगी ।

7. सीधी भर्ती के लिये कम से कम शैक्षणिक योग्यता तथा अनिवार्य अन्य आवश्यक योग्यतायें :	अनिवार्य : कृषि/भू-विज्ञान में स्नातकोत्तर या कृषि स्नातकोत्तर (रसायन) या कृषि/उद्यान में स्नातक या कृषि रसायन भू-विज्ञान मुख्य विषय सहित और फल-पौध पोषण कार्य क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव । वांछनीय : 1. पत्ती विश्लेषण कार्य में नवीनतम तकनीकी का ज्ञान । 2. हिमाचल प्रदेश के रीति-रिवाज, भाषा और संस्कृति का ज्ञान तथा प्रदेश की विशेष परिस्थितियों में नियुक्ति के लिये उपयुक्तता ।
8. क्या आयु व शैक्षणिक योग्यता जिसका वर्णन सीधी भर्ती के लिये किया गया है पदोन्नति के लिये भी लागू होगी ?	आयु : नहीं । शैक्षणिक योग्यता : हां ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि जिसको कि सक्षम प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा विशेष परिस्थितियों में अधिकतम केवल एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।
10. भर्ती की प्रणाली क्या सीधी अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न अंगों द्वारा रिक्त स्थानों को भरने की प्रतिशतता ।	पदोन्नति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा।
11. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले पर वह वेतनमान जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है ।	वरिष्ठ रसायन सहायक/अनुसंधान सहायक से पदोन्नति द्वारा और इस वेतनमान में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा तथा नियमित नियुक्ति के पूर्व यदि कोई 31-12-83 तक अपेक्षित पद पर तदर्थ सेवा की गई हो तो पदोन्नति के लिये निर्धारित कार्यकाल अवधि में ऐसी सेवा की अवधि को गिना जायेगा । इसके लिये दोनों वर्गों को वरिष्ठता की सेवाकाल के आधार पर इकट्ठा किया जायेगा और अन्ततः वरिष्ठता को नहीं छोड़ा जायेगा और जिस वरिष्ठ रसायन सहायक की नियुक्ति 1-11-77 से पूर्व हुई हो उसको अनुसंधान सहायक से बिल्कुल वरिष्ठ माना जायेगा । टिप्पणी 1. —पदोन्नति के सभी मामलों में नियमित नियुक्ति से पूर्व यदि कोई 31-12-83 तक अपेक्षित पद पर तदर्थ सेवा की गई हो तो पदोन्नति के लिये निर्धारित कार्यकाल अवधि से ऐसी सेवा की अवधि को गिना जायेगा जैसा कि नियमों में निर्धारित है बशर्ते कि :— (क) उपरोक्त शर्तों को मध्यनजर रखते हुये सभी मामलों पर जो सेवा की एक कनिष्ठ प्रत्याशी 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा को मिला कर पर पदोन्नति के लिये योग्य हो जाता है तो वह सभी प्रत्याशी जो तत्सम्बन्धी वर्ग संवर्ग में इससे वरिष्ठ होंगे वह सभी विचारणीय होंगे तथा कनिष्ठ प्रत्याशी से वरिष्ठ समझे जायेंगे :

उपबन्धित है कि वे सभी प्रत्याशी जो पदोन्नति हेतु विचाराधीन हों वे कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहकारी सेवा अवधि या भर्ती एवम् पदोन्नति नियमानुसार जो भी निर्धारित सेवा की अवधि हो, दोनों में से जो भी कम हो रखते हों :

आगे उपबन्धित है कि यदि कोई कर्मचारी/प्रत्याशी पदोन्नति के लिये उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार अनुपयुक्त/अयोग्य पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उससे कनिष्ठ प्रत्याशी भी पदोन्नति के लिये अयोग्य समझे जायेंगे ।

(ख) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों के लिये भी 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा नियमित नियुक्ति से पहले यदि कोई हो तो ऐसी सेवा को कार्यकाल अवधि में जोड़ा जायेगा ;

उपबन्धित है कि इस प्रकार तदर्थ सेवा सम्मिलित करके स्थाईकरण करने पर भी परस्पर वरिष्ठता में परिवर्तन न आने पाये ।

(ग) 31-12-83 के उपरान्त की गई तदर्थ सेवा को स्थाईकरण या पदोन्नति के लिये नहीं गिना जायेगा ।

टिप्पणी 2. —जब कभी नियम-2 के अधीन पदों की संख्या में वृद्धि की जाती है तो सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियम 10 तथा 11 के उपबन्धों में संशोधन किये जायेंगे ।

12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसकी रचना क्या है ।

विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य द्वारा की जायेगी ।

13. परिस्थितियां जिसमें भर्ती के लिये हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जायेगा ।

जैसा कि विधि के अधीन अपेक्षित है ।

14. सीधी भर्ती के लिये आवश्यक योग्यतायें

उपर्युक्त या पद सेवा के लिये उम्मीदवार का निम्नलिखित का होना आवश्यक है :—

(क) भारतीय नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) विस्थापित तिब्बती जो कि 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के उद्देश्य से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, पूर्वी अफ्रीका, संयुक्त गणतन्त्र कीनिया, युगांडा, तंजानिया (इससे पूर्व तांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मालावी, जेयरे तथा इथोपिया से भारत में स्थाई रूप से रहने के उद्देश्य से आया हो :

उपबन्धित है कि वर्ग ख, ग, घ और ङ से सम्बन्धित वही प्रत्याशी माना जायेगा जिसको भारत सरकार/राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया हो, प्रत्याशी माना जायेगा । जिसके बारे में पात्रता का प्रमाण पत्र अनिवार्य हो, को भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा आयोजित साक्षात्कार या किसी परीक्षा में बैठने की आज्ञा दी जा सकती है परन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पात्रता का आवश्यक प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही किया जायेगा ।

15. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु चयन — सीधी भर्ती की स्थिति में इन पदों हेतु नियुक्ति के लिये चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर यदि आयोग/भर्ती प्राधिकारी उचित समझे तो लिखित परीक्षा अथवा व्यवहारिक परीक्ष के आधार पर किया जायेगा । जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि आयोग/भर्ती प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

16. आरक्षण — उक्त सेवा में नियुक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत चयनित परिवारों इत्यादि के लिये सेवाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के अधीन होगी ।

17. शिथिल करने की शक्ति — जहां पर प्रदेश सरकार का यह मत हो कि यह करना जरूरी है या इसे इस तरह से करना है तो उसके कारणों को अंकित करके हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग के परामर्श से लिखित आदेश प्राप्त करके किसी श्रेणी, वर्ग, व्यक्तियों या पद के नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दी जा सकती है ।

18. विभागीय परीक्षा — सेवा के प्रत्येक सदस्य को विभागीय परीक्षा नियम के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि या इन नियमों की अधिसूचना के दो वर्ष के भीतर जो भी बाद में हो, विभागीय परीक्षा को पास करना होगा, अन्यथा वह निम्नलिखित का पात्र नहीं होगा :

(क) आगामी देय दक्षतारोध पार करने के लिए,
(ख) सेवा में स्थाईकरण,
(ग) आगामी उच्च पद में पदोन्नति :

उपबन्धित है कि यदि एक सदस्य उपर्युक्त अवधि के भीतर पदोन्नति के लिए अन्यथा पात्र बन जाता है, उस की पदोन्नति के लिए विचार अन्यथा किया जाएगा और यदि अन्यथा उपयक्त पाया जाए, इसे विभागीय परीक्षा को पास करने की शर्त पर अस्थायी पदोन्नत कर दिया जाएगा। यदि वह इसे पास करने की शर्त में असफल रहता है तो उसे पदावनत किया जा सकता है।

आगे यह भी उपबन्धित है कि अधिकारी

जिसने विभागीय परीक्षा को इन नियमों की अधिसूचना से पहले किन्हीं अन्य नियमों के अधीन पूरी या आंशिक रूप से पास कर लिया है, उसे पूरी या आंशिक परीक्षा, जैसी भी स्थिति हो, पास करनी अपेक्षित नहीं होगी :

आगे उपबन्धित है कि यदि किसी अधिकारी के लिए इन नियमों के अधिसूचित होने से पहले कोई विभागीय परीक्षा निर्धारित नहीं थी और वह अधिकारी 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, तो उसे नियमों के अधीन निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(*ii*) किसी अधिकारी को उसकी सीधे पदोन्नति लाइन के किसी उच्च पद में पदोन्नत होने के उपरान्त उपर्युक्त परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उसने पहले ही इससे निचले राजपत्रित पद पर उक्त परीक्षा पास कर ली हो ।

(*iii*) सरकार, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से विशेष परिस्थितियों में और लिखित रूप में इसके कारण रिकार्ड करके विभागीय परीक्षा नियमों के अनुसार व्यक्तियों को किसी भी श्रेणी या वर्ग को विभागीय परीक्षा में पूर्ण अथवा आंशिक छूट दे सकती है ।

एम० एम० कवर,
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5, द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।